Government of India
Ministry of Human Resource Development
Department of Higher Education

Appointment of Vice-Chancellor of two central Universities namely (i) Central University of Bihar, Gaya and (ii) Guru Ghasidas Vishwavidyalaya, Bilaspur.

These Central Universities are institutions of excellence in higher learning and research.

The Vice-Chancellor, being the academic as well as administrative head, is expected to be:

- A visionary with proven leadership qualities, administrative capabilities as well as teaching and research credentials.
- Having outstanding academic record throughout and a minimum of 10 years experience as a Professor in a University system or in an equivalent position in a reputed research and/or academic/administrative organisation.
- Not more than 65 years of age as on the closing date of receipt of applications of this advertisement.

Salary and Service Conditions

- The post carries a pay of Rs. 75,000/- (Fixed) per month with Special Allowance of Rs. 5000/- and other usual allowances.
- The appointment will be on contractual basis for a period of five years or up to the age of 70 years, whichever is earlier.

Procedure for appointment

- Appointment will be made from a panel of names recommended by the Search-cum-Selection Committee.
- Applications of eligible individuals received, by post through candidates/nominators, shall be considered. Such applications should reach within 30 days from the date of the publication of this advertisement, by Registered/Speed Post to:

Deputy Secretary (Central University), Department of Higher Education, Ministry of HRD, Room No. 424, 'C' Wing, Shastri Bhawan, New Delhi-110115

The advertisement can also be seen at websites **www.cub.ac.in, www.ggu.ac.in, http://mhrd.gov.in** and **www.mhrd.gov.in**

"Application for the post of Vice Chancellor (Name of the Central University)", should be super-scribed on the envelope. Applications for more than one Central University may be submitted separately. This department is not responsible for postal delay.

भारत सरकार
मानव संसाधन विकास मंत्रालय
उच्चतर शिक्षा विभाग

दो केन्द्रीय विश्वविद्यालयों नामत: (1) बिहार केन्द्रीय विश्वविद्यालय, गया तथा (2) गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर के कुलपति की नियुक्ति।

ये केन्द्रीय विश्वविद्यालय उच्चतर शिक्षण एवं शोध के क्षेत्र में उत्कृष्ट संस्थान हैं।

कुलपति जो शैक्षणिक के साथ–साथ प्रशासनिक प्रमुख भी होंगे, उनसे यह अपेक्षा है कि:

- उनमें सिद्ध नेतृत्व के गुणों के साथ दूरदर्शिता, प्रशासनिक क्षमताओं के साथ शिक्षण और शोध में अच्छी पकड़ हो।
- उनके पास पूर्ण रुप से उत्कृष्ट शैक्षणिक रिकॉर्ड और विश्वविद्यालय प्रणाली में प्रोफेसर के पद या प्रतितिष्ठत शोध और/या अकादमिक/प्रशासनिक संस्थान में समतुल्य पद पर 10 वर्ष का अनुभव हो।
- इस विज्ञापन पर आवेदनों की प्राप्ति की अंतिम तिथि पर आयु 65 वर्ष से अधिक न हो।

वेतन एवं सेवा शर्तें

- पद के लिए 75000/– रुपये (नियत) मासिक तथा विशेष भत्ता 5000/– रु. एवं अन्य सामान्य भत्ते दिए जाएंगे।
- नियुक्ति पूर्णतया संविदा आधार पर 5 वर्ष हेतु अथवा 70 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, के लिए की जाएगी।

नियुक्ति हेतु प्रक्रिया

- नियुक्ति खोज–सह–चयन समिति की संस्तुतियों पर नामों के पैनल में से की जाएगी।
- उम्मीदवारों/नामितों से योग्य व्यक्तियों के डाक द्वारा प्राप्त आवेदनों पर ही विचार किया जाएगा। ऐसे आवेदन इस विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि से 30 दिनों के भीतर रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट द्वारा निम्नलिखित पते पर पहुँच जाने चाहिए:

उप सचिव (केन्द्रीय विश्वविद्यालय), उच्चतर शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, कमरा नं. 424, 'सी' विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली–110115

इस विज्ञापन को वेबसाईटो: **www.cub.ac.in, www.ggu.ac.in, http://mhrd.gov.in** तथा **www.mhrd.gov.in** पर भी देखा जा सकता है।

लिफाफे पर ऊपर स्पष्ट अक्षरों में "कुलपति के पद हेतु नियुक्ति (केन्द्रीय विश्वविद्यालय का नाम)," लिखा होना चाहिए। एक से अधिक केन्द्रीय विश्वविद्यालयों हेतु आवेदन को अलग–अलग प्रस्तुत किया जाए। डाक में विलम्ब हेतु यह विभाग जिम्मेदार नहीं है।